

दिनांक:—13.06.2019

प्रार्थना-पत्र जरिये अधिवक्ता पेश होने पर पत्रावली आज पेशी मे ली गयी। वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित दावा चलाना नहीं चाहता व जरिये Withdrawl खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। वादी की पहचान श्री कैलाश सिंवल वकील ने की। वाद वादी जरिये Withdrawl प्रार्थना-पत्र 023 नियम 1 सीपीसी के अनुसरण में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।